



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14032024-252947  
CG-DL-E-14032024-252947

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 163]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 12, 2024/फाल्गुन 22, 1945

No. 163]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 12, 2024/PHALGUNA 22, 1945

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय  
(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2024

**सा.का.नि 175(अ).**—जबकि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार की दिनांक 18 दिसंबर, 2023 की अधिसूचना संख्या. सा.का.नि 912 (अ.) के माध्यम से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 100 की उप-धारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 के नियम 15 के उप-नियम (i) में आगे और संशोधन के लिए कतिपय नियमों का एक मसौदा प्रकाशित किया गया था जिसमें आधिकारिक राजपत्र की उक्त अधिसूचना वाली प्रतियां जनता को जिस तारीख से उपलब्ध कराई गई थी, उस तारीख से तीस दिनों की समाप्ति से पहले, इससे प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

और जबकि उक्त अधिसूचना की प्रतियां 29 दिसंबर, 2023 को जनता के लिए उपलब्ध कराई गई थी;

और जबकि उक्त अधिसूचना के संबंध में जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया गया है;

अब, इसलिए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 100 की उप-धाराओं (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

## 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-

(1) इन नियमों को दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) नियमावली, 2024 कहा जाए।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 में, नियम (15) में, उप-नियम (1) में, खंड (ट) के पश्चात् निम्नलिखित खंड को अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(ठ) दिनांक 13 नवंबर, 2023 की अधिसूचना संख्या फा.सं.2019/एसटीएन.डीईवी.-I/03/06/नीति/पीडब्ल्यूडी के माध्यम से रेल मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट भारतीय रेलवे स्टेशनों तथा दिव्यांगजनों और कम गतिशील वाले यात्रियों के लिए स्टेशनों पर सुगम्यता हेतु दिशानिर्देश।

[सं. 38-05/2020-डीडी-III]

राजीव शर्मा, संयुक्त सचिव

**नोट:** दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 को दिनांक 15 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या. सा.का.नि. 591(अ) के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और दिनांक 15 फरवरी, 2024 की सा.का.नि. 114 (अ.) के जरिए पिछली बार संशोधित किया गया था।

## MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

[Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)]

### NOTIFICATION

New Delhi, the 8th March, 2024

**G.S.R. 175(E).**—Whereas a draft of certain rules to amend sub-rule (1) of rule 15 of the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 were published, as required by sub-section (1) of section 100 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), *vide* notification of, the Ministry of Social Justice and Empowerment, Department of Empowerment of Persons with Disabilities, number G.S.R. 912 (E), dated the 18<sup>th</sup> December 2023 published in the Official Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on the 29<sup>th</sup> December 2023;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said notification have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 100 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, namely:-

#### **1. Short title and Commencement.-**

(1) These rules may be called the Rights of Persons with Disabilities (Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, in rule 15, in sub-rule (1), after clause (k), the following clause shall be inserted, namely:-

“(ल) Guidelines on accessibility of Indian Railway stations and facilities at stations for differently abled persons (Divyangjan) and passengers with reduced mobility as specified, in the notification of the Ministry of Railways, Government of India *vide* notification number F.No.2019/Stn.Dev.-I/03/06/Policy/PwDs, dated 13<sup>th</sup> November, 2023.”

[No. 38-05/2020-DD-III]

RAJEEV SHARMA, Jt. Secy.

**Note:** The Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 591 (E), dated the 15<sup>th</sup> June, 2017 and was last amended *vide* G.S.R. 114 (E), dated the 15<sup>th</sup> February 2024.